

दिनांक 15/10/2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत किरौली

Name		Signature	
117	Udayan Giri	(1)	
12	Shakti Singh		
13	Prem Singh		
14	Om Prakash Singh		
5	Om Prakash Singh		
6	Harish Chandra Joshi		
7	Om Prakash Singh		
8	Kedar Singh		
9	Om Prakash Singh		
10	Om Prakash Singh		
11	Om Prakash Singh		
12	Om Prakash Singh		
13	Om Prakash Singh		
14	Om Prakash Singh		
15	Om Prakash Singh		
16	Om Prakash Singh		
17	Om Prakash Singh		
18	Om Prakash Singh		
19	Om Prakash Singh		
20	Om Prakash Singh		
21	Om Prakash Singh		
22	Om Prakash Singh		
23	Om Prakash Singh		
24	Om Prakash Singh		
25	Om Prakash Singh		
26	Om Prakash Singh		
27	Om Prakash Singh		
28	Om Prakash Singh		
29	Om Prakash Singh		
30	Om Prakash Singh		
31	Om Prakash Singh		
32	Om Prakash Singh		
33	Om Prakash Singh		
34	Om Prakash Singh		
35	Om Prakash Singh		
36	Om Prakash Singh		
37	Om Prakash Singh		
38	Om Prakash Singh		
39	Om Prakash Singh		
40	Om Prakash Singh		
41	Om Prakash Singh		
42	Om Prakash Singh		
43	Om Prakash Singh		
44	Om Prakash Singh		
45	Om Prakash Singh		
46	Om Prakash Singh		
47	Om Prakash Singh		
48	Om Prakash Singh		
49	Om Prakash Singh		
50	Om Prakash Singh		
51	Om Prakash Singh		
52	Om Prakash Singh		
53	Om Prakash Singh		
54	Om Prakash Singh		
55	Om Prakash Singh		
56	Om Prakash Singh		
57	Om Prakash Singh		
58	Om Prakash Singh		
59	Om Prakash Singh		
60	Om Prakash Singh		
61	Om Prakash Singh		
62	Om Prakash Singh		
63	Om Prakash Singh		
64	Om Prakash Singh		
65	Om Prakash Singh		
66	Om Prakash Singh		
67	Om Prakash Singh		
68	Om Prakash Singh		
69	Om Prakash Singh		
70	Om Prakash Singh		
71	Om Prakash Singh		
72	Om Prakash Singh		
73	Om Prakash Singh		
74	Om Prakash Singh		
75	Om Prakash Singh		
76	Om Prakash Singh		
77	Om Prakash Singh		
78	Om Prakash Singh		
79	Om Prakash Singh		
80	Om Prakash Singh		
81	Om Prakash Singh		
82	Om Prakash Singh		
83	Om Prakash Singh		
84	Om Prakash Singh		
85	Om Prakash Singh		
86	Om Prakash Singh		
87	Om Prakash Singh		
88	Om Prakash Singh		
89	Om Prakash Singh		
90	Om Prakash Singh		
91	Om Prakash Singh		
92	Om Prakash Singh		
93	Om Prakash Singh		
94	Om Prakash Singh		
95	Om Prakash Singh		
96	Om Prakash Singh		
97	Om Prakash Singh		
98	Om Prakash Singh		
99	Om Prakash Singh		
100	Om Prakash Singh		

H0/- Malpura
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत किरौली
जिला-बागेश्वर

सदस्य
ग्राम पंचायत किरौली
जिला-बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

सेवा में,

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामो निर्माण, पीओआई 0 यू 0-2, पीओएम 0 जी 0 एस 0 वाई 0 क्षेत्र - कपकोट जिला - बागेश्वर (उत्तराखण्ड)

विषय-
महोदय,

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में।

उक्त मोटर मार्ग के प्रारम्भिक व विस्तृत सर्वेक्षण के दौरान मोटर मार्ग के समरेखण में आने वाली नाप भूमि से ग्राम निरौली के किसी भी कास्तकार को कोई भी आपत्ति नहीं है। एवं सिविल व नाप भूमि में किसी भी व्यक्ति व आदिम जाति का कोई भी दावा नहीं किया जायेगा।

अतः महोदय आप से निवेदन है, कि उक्त मोटर मार्ग का निर्माण शीघ्रताशीर्घ प्रारम्भ करने की कृपा किजिएगा।
धन्यवाद।

क्र.सं.	नाम	हस्ताक्षर
1	NARAYAN GIRI	
2	Harish Singh	
3	महेश सिंह	
4	Ramesh Singh	
5	Bhisham Singh	
6	Ramesh Singh	
7	Harish Singh	
8	Devi Singh	
9	Kabir Singh	
10	Kundan Singh	
11	Dev Singh	
12	Kundan Singh	
13	Kundan Singh	
14	Dev Singh	
15	Dev Singh	
16	Chand Singh	
17	Harish Singh	
18	Dev Singh	
19	Dev Singh	
20	Dev Singh	
21	Chand Singh	
22	Dev Singh	
23	Dev Singh	
24	Dev Singh	
25	Dev Singh	
26	Dev Singh	
27	Dev Singh	
28	Dev Singh	
29	Dev Singh	
30	Dev Singh	
31	Dev Singh	
32	Dev Singh	
33	Dev Singh	
34	Dev Singh	

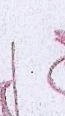
ग्राम प्रधान
हस्ताक्षर एवं मुहर
ग्राम पंचायत निरौली
ग्राम - कपकोट, जिला - बागेश्वर

नानिता गिरि
सदस्य
ग्राम पंचायत निरौली
ग्राम - कपकोट, जिला - बागेश्वर

वन पंचायत समिति का अनापत्ति प्रमाण पत्र

आज दिनांक 12.5.17 को ग्राम पंचायत ~~फरहली~~ में वन पंचायत समिति की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित मोटर मार्ग के सम्बन्ध में चर्चा की गई, वन पंचायत समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण में वन पंचायत से गुजरने वाली भूमि को देने में वन पंचायत समिति को कोई आपत्ति नहीं है।

वन पंचायत समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 


सरपंच ~~फरहली~~
वन पंचायत

अनापत्ति प्रमाण पत्र

Date - 12.05.17

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम सभा के बीच जो मोटर मार्ग का समरेखण हुआ है। वह कार्य काफी सराहनीय हुआ है। मोटर मार्ग के सन्दर्भ में मेरे समस्त ग्रामवासियों को भी आपत्ति नहीं है। और मेरे सभी ग्रामवासी मोटर मार्ग निर्माण में किसी भी प्रकार का विवाद नहीं करेंगे। मेरे सभी ग्रामवासी व लोक के सभी नागरिक काफी उत्साहित है।

- (1) हरदह सिंह कोटा - हरदह सिंह
- (2) गणपाल सिंह - गणपाल सिंह
- (3) निजय सिंह कदायत - निजय कदायत
- (4) देवदास - देवदास
- (5) निजय सिंह - निजय सिंह
- (6) देवदास सिंह - देवदास सिंह
- (7) मेधा सिंह - मेधा सिंह
- (8) देवदास गणपाल - देवदास गणपाल
- (9) शोबन सिंह - शोबन सिंह
- (10) सुखान सिंह - सुखान सिंह
- (11) राम सिंह - राम सिंह
- (12) मनोहर सिंह - मनोहर सिंह
- (13) जयन सिंह - जयन सिंह
- (14) लोकर सिंह - लोकर सिंह
- (15) सुजन सिंह - सुजन सिंह

ग्राम प्रधान -
ग्राम - फरहाली
विकासखण्ड - कपकोट
जिला - ब्योहार

ग्राम प्रधान

हस्ताक्षर एवं मुहर
ग्राम प्रधान फरहाली
पि 0 20 - कपकोट जिला - ब्योहार

सवा म,

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामो निर्माण वि० पी०आई०यू-२, पी०एम०जी०एस०वाई०, क्षेत्र-कपकोट जिला-बागेश्वर (उत्तराखण्ड)

विषय- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में।
महोदय,

निवेदन इस प्रकार से है कि आज दिनांक 12.05.17 को ग्राम सभा की एक बैठक की गयी एवं स्वीकृत मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में समरेखण किया गया। जिसमें की हम सभी ग्राम वासियों को कोई आपत्ति नहीं है। हमारे सभी ग्राम वासियों की नाप भूमि एवं अन्य वन्य सम्पदा की क्षति हेतु कोई विरोध नहीं होगा।

अतः महोदय से निवेदन करना है कि उक्त मोटर मार्ग का निर्माण तुरंत प्रारम्भ करने की कृपा कीजिएगा।
धन्यवाद।

क्र०सं०	नाम	हस्ताक्षर
1	Chhogan Laxie	HL
2	Prakash Lalie	Prakash
3	Pran Singh	Pran
4	बलविन्द कार्का	बलविन्द
5	अनीम बिडे डेवली	अनीम बिडे
6	हरमन सिंह	BVSQ NARJARI
7	रमेश सिंह	raman singh
8	विशाल सिंह	विशाल
9	गुरशान सिंह	गुरशान
10	गुरशान सिंह	गुरशान
11	गुरशान सिंह	गुरशान
12	गुरशान सिंह	गुरशान
13	गुरशान सिंह	गुरशान
14	गुरशान सिंह	गुरशान
15	गुरशान सिंह	गुरशान
16	गुरशान सिंह	गुरशान
17	गुरशान सिंह	गुरशान
18	गुरशान सिंह	गुरशान
19	गुरशान सिंह	गुरशान
20	गुरशान सिंह	गुरशान
21	गुरशान सिंह	गुरशान
22	गुरशान सिंह	गुरशान
23	गुरशान सिंह	गुरशान
24	गुरशान सिंह	गुरशान
25	गुरशान सिंह	गुरशान
26	गुरशान सिंह	गुरशान
27	गुरशान सिंह	गुरशान
28	गुरशान सिंह	गुरशान
29	गुरशान सिंह	गुरशान
30	गुरशान सिंह	गुरशान
31	गुरशान सिंह	गुरशान
32	गुरशान सिंह	गुरशान
33	गुरशान सिंह	गुरशान
34	गुरशान सिंह	गुरशान

ग्राम प्रधान

हस्ताक्षर एवं मुहर

वि० ख० - कपकोट जिला-बागेश्वर

अभिजा गौरावादी
सहस्य
कपकोट जिला-बागेश्वर
वि० ख० - कपकोट जिला-बागेश्वर

परियोजना का नाम - जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत बागेश्वर कपकोट तेजम मोटर मार्ग के कि०मी० 33 से किरौली मोटर मार्ग का निर्माण(लम्बाई 5.00कि०मी०) का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :- **किरौली**

तहसील :- **कपकोट**

जिला :- **बागेश्वर**

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद **बागेश्वर** के अन्तर्गत बागेश्वर कपकोट तेजम मोटर मार्ग के कि०मी० 33 से किरौली मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (0.000 है० आरक्षित वन भूमि, 2.250 है० सिविल सोयम भूमि, 2.070 है० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 2.250 है० वन भूमि का प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **किरौली** द्वारा दिनांक 12.05.2017 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह वन अधिकार अधिनियम 2006 की प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **किरौली** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 2.250 है० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-

ग्राम सचिव

ह०/-

ग्राम प्रधान **Kalpana**
ग्राम पंचायत किरौली
पि० ख० - कपकोट, जिला-बागेश्वर

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड बागेश्वर परिक्षेत्र के बागेश्वर कपकोट तेजम मोटर मार्ग के कि०मी० 33 से किरौली मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 2.250 है० वन भूमि प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील :- कपकोट

जनपद :- बागेश्वर

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील :- कपकोट
जनपद :- बागेश्वर

परियोजना का नाम - जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बागेश्वर कपकोट तेजम मोटर मार्ग के कि०मी० 33 से किरोली मोटर मार्ग का निर्माण(लम्बाई 5.00कि०मी०) का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, कपकोट
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, कपकोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत बागेश्वर कपकोट तेजम मोटर मार्ग के कि०मी० 33 से किरोली मोटर मार्ग (0.000 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.180 है० सिलिल एवं सोयम वन भूमि 2.070 है० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 2.250 है० वन भूमि) का प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति,

(तहसील कपकोट) की दिनांक 12/5/2017 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री रवीन्द्र सिंह बिष्ट , उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1-	श्री रवीन्द्र सिंह बिष्ट	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष Sub Divisional Magistrate Kankote (Dist.)
2-	श्री कमलवन्त शर्मा	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य (अध्यक्ष समाज कल्याण अधिकारी) विकास खण्ड अधिकारी
3-	श्री कालू राम वर्मा	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव (अध्यक्ष समाज कल्याण अधिकारी) विकास खण्ड अधिकारी
4-	श्री श्रीमद काविराम शर्मा	बी०डी०सी० क्षेत्र- किरोली	सदस्य कल्याण अधिकारी सहसचिव

उप प्रभावत
वि०ख० कपकोट (०१/१९)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत बागेश्वर कपकोट तेजम मोटर मार्ग के कि०मी० 33 से किरोली मोटर मार्ग हस्तान्तरण हेतु 2.250 है० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव प्रभागीय वन अधिकार विभाग (

FORM - 23.3

Name of Work : Construction of  Motor Road (Stage - I) under PMGSY.

Annexure-1

FORM - 1

Government of Uttarakhand
Office of the District collector : Bageshwar

No

Date : 28/5/2017

To Whomsoever it May Concern

In compliance of the Ministry of Environment and forests (MoEF) Government of India's Letter no. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 2.250 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Department, Uttarakhand (Name of user agency) for Connstrution of Bageshwer Kapkot Tejem Motor Road of Km. 33 to Kiroli Motor Road (5.00 Km) under PMGSY in Bageshwar district falls with in jurisdiction of Kiroli Gram Panchayat in Kapkot Tehsil.

It is further certified that :

S.No.		Remarks
1	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.250 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure .	As there are no habitat's belonging to Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers.
2	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas given their consent to it.	As there are no habitat's belonging to Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers. There is no objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.
3	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.	As there are no habitat's belonging to Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers.

Encl.- As above.

Signature


Ranjana Verma,
(District Collector)

FORM - 23.3

Name of Work : Construction of KIROLI Motor Road (Stage - I) under PMGSY.
Annexure-1

FORM - 1

Government of Uttarakhand
Office of the District collector : Bageshwar

No.

Date : 28/5/2017

To Whomsoever it May Concern

In compliance of the ministry of Environment and forests (MoEF) Government of India's Letter no. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 2.250 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Department, Uttarakhand (Name of user agency) for Construction Bageshwar Kapkot Tejem Motor Road of Km. 33 to Kiroli Motor Road (5.00 Km) under PMGSY in Bageshwar district falls with in jurisdiction of Kiroli Gram Panchayat in Kapkot Tehsil.

It is further certified that :

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.250 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure .
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl.- As above.

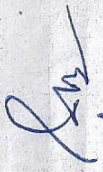
Signature


Rangana Verma
(District Collector)

वन पंचायत समिति का अनापत्ति प्रमाण पत्र

आज दिनांक 12.5.17 को ग्राम पंचायत ~~किरोली~~ में वन पंचायत समिति की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित मोटर मार्ग के सम्बन्ध में चर्चा की गई, वन पंचायत समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण में वन पंचायत से गुजरने वाली भूमि को देने में वन पंचायत समिति को कोई आपत्ति नहीं है।

वन पंचायत समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर

1. पिन्हा सिंह 
2. मोहन सिंह 
3. मधुसूदन सिंह 
4. देवेन्द्र 
5. हरीश कोराण 
6. प्रकाश 
7. रमेश सिंह 
8. जोग सिंह 
9. देव सिंह 

वेमसे

सरपंच
वन पंचायत

अनापत्ति प्रमाण पत्र

सेवा में,

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रा0नि0वि0, पी0आई0यू-2, पी0एम0जी0एस0वाई0, क्षेत्र-कपकोट जिला-बागेश्वर (उत्तराखण्ड)

विषय- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन इस प्रकार से है कि आज दिनांक 12.05.17 को ग्राम सभा की एक बैठक की गयी एवं स्वीकृत मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में समरेखण किया गया। जिसमें की हम सभी ग्राम वासियों को कोई आपत्ति नहीं है। हमारे सभी ग्राम वासियों की नाप भूमि एवं अन्य वन्य सम्पदा की क्षति हेतु कोई विरोध नहीं होगा।

अतः महोदय से निवेदन करना है कि उक्त मोटर मार्ग का निर्माण तुरंत प्रारम्भ करने की कृपा कीजिएगा।
धन्यवाद।

क्र0सं0	नाम	हस्ताक्षर
1	Nurayun Luvie	Nh
2	Shakti Lal Luvie	Shakti Lal Luvie
3	Pram Singh	Pram Singh
4	बलदेव सिंह का रेणा	बलदेव सिंह का रेणा
5	जयन सिंह का रेणा	जयन सिंह का रेणा
6	चरन सिंह का रेणा	चरन सिंह का रेणा
7	हरेश सिंह	हरेश सिंह
8	रमेश सिंह	रमेश सिंह
9	विरान सिंह	विरान सिंह
10	वृंशाल सिंह	वृंशाल सिंह
11	रुंशाल सिंह	रुंशाल सिंह
12	गुरांन सिंह	गुरांन सिंह
13	हर	हर
14	गुरांन सिंह	गुरांन सिंह
15	गुरांन सिंह	गुरांन सिंह
16	गुरांन सिंह	गुरांन सिंह
17	महेश सिंह	महेश सिंह
18	नवीन्द सिंह	नवीन्द सिंह
19	पुनोम सिंह	पुनोम सिंह
20	नैनाल सिंह	नैनाल सिंह
21	शोभा सिंह	शोभा सिंह
22	गुरांन सिंह	गुरांन सिंह
23	राम सिंह	राम सिंह
24	नारायण सिंह	नारायण सिंह
25	मोहन सिंह	मोहन सिंह
26	बलदेव सिंह	बलदेव सिंह
27	रमेश सिंह	रमेश सिंह
28	जन सिंह	जन सिंह
29	गुरांन सिंह	गुरांन सिंह
30	मम	मम
31	Shreebati Singh Gusswami	Shreebati Singh Gusswami
32	Uday Singh Kuthbargat	Uday Singh Kuthbargat
33	Deepak Gusswami	Deepak Gusswami
34		

ग्राम प्रधान

हस्ताक्षर एवं मुद्रा

Kal Singh

ग्राम

ग्राम पंचायत किरौली

वि0 ख0 - कपकोट, जिला-बागेश्वर

अधिसा गौराजी

सदस्य

वि0 ख0 - कपकोट, जिला-बागेश्वर

वि0 ख0 - कपकोट, जिला-बागेश्वर